कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
पी0एम0जी0एस0वाई0, डीडीहाट (पिथौरागढ़)।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

☎ / फैक्स नं0 05964–232036

ई मेल (1) eepmgsydidihat@rediffmail.com
(2) eerwdpmgsydidihat@gmail.com

पत्रांकः– 191 / ग्रा0नि0वि0 / पी0एम0जी0एस0वाई0 / 2023–24, दिनांकः 30-05–2023

सेवा मे,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,
पिथौरागढ़।

विषय :– **जनपद पिथौरागढ़ में बिरतोला बेलकोट से पीपलतड मोटर मार्ग निर्माण हेतु 6.1395 वन भूमि का गैर वानिकि कार्यो हेतु ग्राम विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/7842/2014,**

सन्दर्भः– **कार्यालय– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 1275/FP/UK/ROAD/7842/2014 दिनांक 17.11.2022.**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे, जिसके परिपालन में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त **FP/UK/ROAD/7842/2014,** बिरतोला से बेलकोट मोटर मार्ग जिसके प्रस्तावित क्षेत्र की के०एम०एल० फाईल के अवलोकन उपरान्त प्रस्तावित समरेखण मे इतर परिवर्तन पाया गया है तथा अनुमोदित समरेखण के अतिरिक्त दो **hairpin bends** भी दिखाई दे रहे है, जिसके क्रम में अवगत कराना है कि पी0एम0जी0एस0वाई डीडीहाट द्वारा मार्ग निर्माण का कार्य स्वीकृत समरेखण के अन्तर्गत ही किया गया है जिसके अन्तिम बिन्दू पर स्कूल तथा बसावट स्थित है। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि ततसमय तकनीकी दक्षता के अभाव में वनभूमि प्रपोजल तैयार किये जाते थे जिसमें के0एम0एल0 का निर्माण बिना काटे हुए समरेखण पर जाकर किया जाता था जिसमे वास्तविक निर्माण कार्य से भिन्नता होनी अथवा गलत के0एम0एल0 का अपलोड होना स्वभाविक है। मोटर मार्ग का निर्माण प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ से कार्य प्रारम्भ की अनुमति मिलने तथा वन विभाग की उपस्थिति में छपान एंव पातन होने के उपरान्त ही कराया गया है (प्रति संलग्न)। भारत सरकार पर्यावरण, वन एव जलवायू परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा निम्नाँकित बिन्दु पर अभिलेख / दस्तावेज इस कार्यालय में प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिनका निरतारण निम्न प्रकार है।

क्र0सं0	आपत्तिया	टिप्पणी
1	Whether the information regarding tree enumeration and the actual tree felling work was carried out on the forest land which was actually demarcated on the ground for the purpose of the road?	मोटर मार्ग के रेखांकन में आने वाले वृक्षो की गणना की गई थी जिसका ही छपान / कटान किया गया तथा निर्माण कार्य स्वीकृत समरेखण के अनुसार ही किया गया है। सलग्न– स्वीकृत समरेखण की प्रति संलग्न।
2	Whether the actual work of the road has been carried out on the forest land which was actually demarcated on the ground for the purpose of the road?	निर्माण कार्य स्वीकृत समरेखण के अनुसार ही किया गया है। जिसमे वन भूमि 6.1395 है0 है।
3	What are the reasons for the construction of two additional hairpin bends which were not shown	प्रस्तावित वनभूमि से अतिरिक्त वनभूमि नही ली गई है। के0एम0एल0 फाईल की त्रुटि के कारण उक्त भिन्नता हुई है।

	construction of two additional hairpin bends which were not shown earlier in the KML file, and whether any additional forest area was utilized for this purpose & the additional trees damaged if any?	के0एम0एल0 फाईल की त्रुटि के कारण उक्त भिन्नता हुई है।
4	Detailed inspection report of the DFO regarding the actual work carried out on the ground vis-a-vis the above issues and a detailed report on violation if any?	–

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रस्ताव पर यथौचित कार्यवाही हेतु अग्रसारित करने की कृपा करें ।
संलग्नः– यथोपरि ।

भवदीय,

नोडल अधिकारी/प्र0कृत अधिशासी अभियन्ता,
ग्रा0नि0वि0, पी0एम0जी0एस0वाई0,
डीडीहाट (पिथौरागढ)।

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 25 / 2015 / एफ.सी./ 1272 दिनांक: 23 / 12 / 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय : जनपद–पिथौरागढ़ में बिरतोला से बेलकोट मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.1395 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No FP/UK/ROAD/7842/2015)

सन्दर्भ: अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या–1275/ FP/UK/ROAD/7842/2014 दिनांक 17-11-2022

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव पर पूर्व में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 23.11.2015 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसकी अंतिम अनुपालना आख्या राज्य सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित क्षेत्र की के0एम0एल0 फाईल के अवलोकन उपरान्त प्रस्तावित समरेखण में कई जगहों पर इतर परिवर्तन पाया गया है तथा अनुमोदित समरेखण के अतिरिक्त दो hairpin bends भी दिखाई दे रहे है, जोकि एफ.सी.ए., 1980 के नियमों का उल्लंघन है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस हेतु निम्नाँकित बिन्दु पर अभिलेख / दस्तावेज़ इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें :–

(a) Whether the information regarding tree enumeration and the actual tree felling work was carried out on the forest land which was actually demarcated on the ground for the purpose of the road?

(b) Whether the actual work of the road has been carried out on the forest land which was actually demarcated on the ground for the purpose of the road?

(c) What are the reasons for the construction of two additional hairpin bends which were not shown earlier in the KML file, and whether any additional forest area was utilized for this purpose & the additional trees damaged if any?

(d) Detailed inspection report of the DFO regarding the actual work carried out on the ground vis-à-vis the above issues and a detailed report on violation if any?

भवदीय,

Gnarwane 23.12.2022

(गजेंद्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(गजेंद्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)

(११८)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax व फोन 05964-225234

पत्रांक/[illegible] / 12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, [illegible]-11-2018।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रा0नि0वि0, पी0एम0जी0एस0वाई0
डीडीहाट, पिथौरागढ़।

विषय: जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत बिरतोला से बेलकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु 6.395 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ: भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश सं0 08/UCP/06/313/2010/FC/2239 दि0 14-01-2018 व आपके पत्र सं0 888 दि0 27-11-2017।

संदर्भित पत्र के क्रम में राज्य सरकार द्वारा जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत **बिरतोला से बेलकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु 6.395 है0** वन भूमि को कतिपय शर्तो के अधीन जिसका उल्लेख सैद्धान्तिक स्वीकृति के आदेश में किया गया है, के अधीन प्रत्यावर्तन किया जाने का सैद्धान्तिक रूप से निर्णय लिया गया है। उक्त संदर्भित मोटर मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता, ग्रा0नि0वि0, पी0एम0जी0एस0वाई0 डीडीहाट, पिथौरागढ़ के द्वारा बनाया जाना प्रस्तावित है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने उक्त पत्रांक द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया गया है कि उनके द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा लगाई गयी वन भूमि के हस्तान्तरण की शर्तो के अनुसार क्षतिपूरक, एन0पी0वी0, आरा पारा उचित वृक्षारोपण की धनराशि भुगतान किया जा चुका है, तथा उनके द्वारा उक्त मोटर मार्ग के विधिवत हस्तान्तरण में लगाये जाने वाली अन्य शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा मोटर मार्ग में कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गयी है।

शासनादेश सं0 156/x4-15/1(57)/2015 दि0 30-3-2015 में प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पी0आई0यू0,डीडीहाट को **बिरतोला से बेलकोट मोटर मार्ग निर्माण हेतु 6.395 है0** में भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा सैद्धान्तिक अनुमति दिये जाने के पश्चात निम्न प्रतिबन्धो के अधीन कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

1- प्रयोक्ता एजेन्सी को भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा सैद्धान्तिक अनुमति प्रदान करते समय लगायी गयी समस्त शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

2- भारत सरकार /राज्य सरकार से विधिवत स्वीकृति प्राप्त होने पर उसमें लगायी गयी शर्तो का भी प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पालन किया जाना होगा।

3- मार्ग निर्माण में बाधक वृक्षों का पातन उत्तराखण्ड वन विकास निगम के माध्यम से किया जाना है। अतः वन विकास निगम द्वारा वृक्षों के पातन के उपरान्त ही वन मोटर मार्ग में कटिंग का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। किसी भी दशा में वृक्षों को जे0सी0बी0 से उखाड़कर पहाड़ की ढाल से नीचे नही लुड़काया जायेगा। यदि निर्माण में बाधक वृक्षों के वन निगम द्वारा कटान से पूर्व प्रयोक्ता एजेन्सी या उसके ठेकेदार द्वारा वृक्षों का जे0सी0बी0 से उखाड़कर कर लुड़काया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रयोक्ता एजेन्सी इसके लिये पूर्ण उत्तरदायी होगी।

4- मार्ग निर्माण से उत्सर्जित मलवे को पूर्व चिन्हित डम्पिग यार्ड में डम्प किया जायेगा, उत्सर्जित मलवे को पहाडी ढलान से नीचे जगह-जगह नही फैलाया जायेगा, उत्सर्जित मलवे को किसी भी दशा में नदी-नालो में नहीं डाला जायेगा।

5- मार्ग निर्माण से उत्सर्जित मलवे को पूर्व चिन्हित डम्पिग यार्ड में डालने के पश्चात इस डम्पिग यार्ड का वैज्ञानिक तरीके से वानस्पतिक उपचार किया जाना है, जिससे मलवा आगामी वर्षो में बहकर नदी में अथवा नालो में न जाने पाये, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इन क्षेत्रों के उपचार के लिये वन विभाग द्वारा आगणित धनराशि को उपलब्ध कराया जाना होगा, तथा इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

J.E.

1106

।– सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित किसी भी शर्त का उल्लंघन किये जाने पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के ॥विधानों के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति अपेक्षित है।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

संख्याः– / दिनांकित ।

प्रतिलिपि वन क्षेत्राधिकारी, बेरीनाग को सूचनार्थ एवं शर्तो के अनुपालन हेतु प्रेषित ।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & ☎ 05964- 225234

पत्रॉक 2403/12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 04 जनवरी, 2019।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0,
लोक निर्माण खण्ड,
डीडीहाट।

विषयः– बिरतोला–बेलकोट मोटर मार्ग में प्रभावित वृक्षों के निस्तारण हेतु प्राक्कलन का प्रेषण।

संदर्भः– वन विकास निगम, पिथौरागढ़ का पत्रांक– 883/प्राक्कलन मोटर मार्ग विकास कार्य दि0–28–12–2018।

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, बिरतोला–बेलकोट मोटर मार्ग में प्रभावित वृक्षों के प्राक्कलन के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें ताकि समय पर वृक्षों का निस्तारण किया जा सके।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

संख्याः– / दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, पिथौरागढ़ को उनके संस्तुति पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़।

1244
14/01/19

(115)

Email : dfdm.pitho_garh@yahoo.com

दूरभाष फैक्स : 05964 224187

उत्तराखण्ड वन विकास निगम

कार्यालय प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक : पिथौरागढ़

पत्रांकः- 883 /प्राक्कलन मो0मार्ग विकास कार्य

दिनांक 28/-12/2018

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 लोक निर्माण खण्ड
डीडीहाट।

विषयः- बिरतोला बेलकोट मोटर मार्ग में प्रभावित वृक्षों के निस्तारण हेतु प्राक्कलन का प्रेषण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम में अवगत कराना है कि पिथौरागढ़ वन प्रभाग द्वारा पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत आवंटित लौट संख्या 48, 49, 50/2018-19 बिरतोला बेलकोट मोटर मार्ग में प्रभावित वृक्षों के निस्तारण हेतु प्राक्कलन क्षेत्रीय प्रबन्धक (कु0क्षे0 उत्तराखण्ड वन विकास निगम हल्द्वानी द्वारा अनुमोदित उपरान्त निम्नानुसार आपको प्रेषित किये जा रहे है। उक्त लौटो के निस्तारण हेतु कृपया निम्नानुसार धनराशि यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करें लौटो में कार्य प्रारम्भ करवा दिया गया है, ताकि यथासमय वृक्षों का निस्तारण किया जा सके।

लौट संख्या 48/2018-19	धनराशि ₹	1274364.00
लौट संख्या 49/2018-19	धनराशि ₹	494184.00
लौट संख्या 50/2018-19	धनराशि ₹	63366.00
	कुल धनराशि ₹	1831914.00

कृपया उपरोक्तानुसार धनराशि ₹ 1831914.00 (अट्ठारह लाख इक्कतीस हजार नौ सौ चौदह) मात्र का ड्राफ्ट अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से पिथौरागढ़ शाखा पर देय इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें अथवा प्रभाग के चालू खाता संख्या 10886651846 एस.बी.आई. पिथौरागढ़ में RTGS के माध्यम से हस्तान्तरित कर इस कार्यालय को अवगत करवाने की कृपा करें जिस हेतु एस.बी.आई. पिथौरागढ़ का IFSC कोड संख्या SBIN0000700 है, ताकि उपरोक्त लौटो का कटान, ढुलान आदि कार्य समयान्तर्गत पूर्ण किया जा सके।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार लौट का प्राक्कलन

भवदीय,

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक
पिथौरागढ़।

पत्रांक- /उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- श्री गिरिजा शंकर पन्त, लौ0स0 अनुभाग अधिकारी बेरीनाग को उपरोक्तानुसार इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप भी अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण खण्ड पी0एम0जी0एस0वाई0 डीडीहाट कार्यालय से स्वयं सम्पर्क कर कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। एवं लौटो में यथासमय कार्य सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

1214
17/01/18

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक
पिथौरागढ़।

संरेखण प्रतिवेदन

कार्य का नामः– प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत बिरतोला–बेलकोट से पीपलतड़ मोटर मार्ग निर्माण हेतु समरेखण प्रस्ताव।(कि0मी0 0.000 से 14.800)।

जनपद पिथौरागढ़ में विकासखण्ड बेरीनाग के 500+ से अधिक जनसंख्या वाली बसावट बेलकोट (CC 9230200, H 42, Pop. 761) बसावट को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मोटर मार्ग से संयोजित किये जाने हेतु फेज–VII में सचिव, ग्राम विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या 910/पी01–18/यू0आर0आर0डी0ए0/09, दिनांक 19 जून 2006 द्वारा डी0पी0आर0 गठित किये जाने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गयी है। किन्तु वनभूमि प्रस्ताव में विलम्ब के कारण उक्त मार्ग फेज VII से Drop फेज XIII हेतु प्रस्तावित किया गया है। वर्तमान में बेलकोट के अतिरिक्त कोर नेटवर्क के अनुसार बिरतोला–बेलकोट मोटर मार्ग, बेरीनाग–पुरानाथल मोटर मार्ग (L030) से बेलकोट (CC 923200, H 42, Pop. 761), पीपलतड़ (CC 923100, H 273, Pop. 344) बसावट को जोड़ा जाना प्रस्तावित है। कोर नेटवर्क में बिरतोला–बेलकोट मार्ग की लम्बाई 6.00 किमी0 दिखाई गयी है, किन्तु प्रस्तावित समरेखण के अनुसार मार्ग की लम्बाई बेलकोट तक 9.000 किमी0 है। इसके अतिरिक्त उक्त मार्ग पर बेलकोट से 5.00 किमी0 की दूरी पर 250+ की बसावट पीपलतड़ (CC 923100, H 273, Pop. 344) को जोड़े जाने हेतु कोर नेटवर्क संशोधन प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। उक्तानुसार बिरतोला– बेलकोट मोटर मार्ग से पीपलतड़ तक मोटर मार्ग हेतु समरेखण प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसकी वास्तविक लम्बाई 14.800 किमी0 आती है। उक्त आदेश के क्रम में उक्त मोटर मार्ग की डी0पी0आर0 गठित किये जाने हेतु मार्ग का यह समरेखण प्रस्ताव तैयार किया गया है।

कोर नेटवर्क में 500 से अधिक जनसंख्या वाली बसावट बेलकोट एंव 250 से अधिक जनसंख्या वाली बसावट पीपलतड को बेरीनाग–पुरानाथल मोटर मार्ग (L030) से सयोजित किया जाना दर्शाया गया है। कोर नेटवर्क मानचित्र में बसावट बेलकोट एंव पीपलतड़ को बेरीनाग--पुरानाथल मोटर मार्ग से जोड़ा जाना दर्शाया गया है। प्रस्तावित समरेखण के अनुसार बेरीनाग–पुरानाथल मोटर मार्ग के किमी0 7.00 में खड़ साईड (Vally Side) से उक्त बसावटों को जोडते हुए प्रस्तावित मोटर मार्ग (समरेखण) की लम्बाई 14.800 किमी0 है।

बिरतोला–बेलकोट से पीपलतड़ मोटर मार्ग (कि0मी0 14.800) के नव निर्माण से बेलकोट एवं पीपलतड़ बसावट मोटर मार्ग से जुड़ जायेंगी। इस हेतु ग्रामवासीयों एंव क्षेत्र प्रतिनिधियों के सहयोग से विभिन्न सम्भावनाओं एंव भूमि की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए एक समरेखण निर्धारित किया गया है। इस हेतु ग्रामवासियों का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।

संरेखण संख्या 1:– नक्शे पर लाल रंग से चिन्हित समरेखण बिरतोला–बेलकोट से पीपलतड़ तक प्रस्तावित है। इस समरेखण की लम्बाई 14.800 किमी0 आती है। यह संरेखण बेरीनाग–पुरानाथल मोटर मार्ग के कि.मी. 7.00 से प्रारंभ होता है। उक्त मोटर मार्ग का प्रारंभिक बिंदु न्यूडिया मंदिर से प्रारंभ होकर वन पंचायत भूमि से होते हुए चैनेज 0/28–29 पर पहला हेयरपिन बैण्ड, चैनेज 0/39–1/1 पर दूसरा हेयरपिन बैण्ड लेकर खड़क सिंह कार्की (उखेड़ा) के मकान के नीचे नापखेतों से होकर यू बैण्ड देते हुए चैनेज 1/25–26 पर मकान के ऊपर नापखेतों से होकर चैनेज 2/23–24 पर तीसरा हेयरपिन बैण्ड देते हुए पैदल मार्ग को क्रॉस करके सिविल भूमि से पाईप लाईन एवं पैदल मार्ग को क्रॉस करते हुए नापखेतों से होकर चैनेज 3/9–10 पर चौथा हेयरपिन बैण्ड देकर इन्द्र सिंह के मकान के पास से पैदल मार्ग के साथ जगदीश चन्द्र पाण्डेय के मकान के पास से पंचायत भवन के नीचे से मंदिर के पास से होते हुए चैनेज 3/40–4/1 पर पांचवा हेयरपिन बैण्ड देते हुए सिंचाई नाली के ऊपर से चैनेज 4/9–10 पर छटवां हेयरपिन बैण्ड लेते हुए बद्रीदत्त पाण्डेय के मकान के पास से नहर को क्रॉस करके चैनेज 4/19–20 पर सातवां हेयरपिन बैण्ड देते हुए आनंद राम के मकान के ऊपर से

नहर एवं पैदल मार्ग को क्रॉस करके वॉटर टैंक के नीचे से चैनेज 5/6–7 पर आठवां हेयरपिन बैण्ड देते हुए इलेक्ट्रीक पोल के पास एवं दुकान के ऊपर से पाईप लाईन क्रॉस करके पुष्कर सिंह डसीला के मकान के नीचे से चैनेज 6/10–11 पर नवां हेयरपिन बैण्ड देते हुए माध्यमिक जूनियर हाईस्कूल के ऊपर से पाईप लाईन क्रॉस करके दुकान के नीचे, नवीन राम के मकान के उपर से चैनेज 6/31–32 पर दसवां हेयरपिन बैण्ड देते हुए पाईप लाईन क्रॉस करके इलेक्ट्रीक पोल एवं डिगर राम के मकान के नीचे, पैदल मार्ग क्रॉस करके दुकान के ऊपर से चैनेज 8/8–9 पर ग्यारवां हेयरपिन बैण्ड देते हुए सिविल भूमि से होकर पैदल मार्ग क्रॉस करके फकीर राम के मकान के नीचे, पाईप लाईन क्रॉस करके इलेक्ट्रीक पोल एवं मकान के नीचे से होकर आनंद राम के मकान के ऊपर, चैनेज 9/40–10/1 पर बारवां हेयरपिन बैण्ड देते हुए सिविल भूमि से होकर इलेक्ट्रीक पोल के ऊपर नापखेतों से होते हुए चैनेज 10/35–36 पर तेरहवां हेयरपिन बैण्ड देते हुए इलेक्ट्रीक पोल के नीचे से पाईप लाईन क्रॉस करके चैनेज 11/22–23 पर चौदवां हेयरपिन बैण्ड देते हुए इलेक्ट्रीक पोल एवं मकान के पास से नापखेतों से होकर भोपाल सिंह के मकान के ऊपर से पैदल मार्ग क्रॉस करके सिंचाई नहर एवं वॉटर टैंक के ऊपर से होकर मकान के नीचे से पाईप लाईन एवं नहर के साथ–साथ नापखेतों से होकर वॉटर टैंक के नीचे से पाईप लाईन क्रॉस करके गोपाल सिंह के मकान के ऊपर, चैनेज 13/37–38 पर पन्द्रवां हेयरपिन बैण्ड देकर नहर क्रॉस करके चैनेज 14/8–9 पर सोलवां हेयरपिन बैण्ड देते हुए दुकान के नीचे से जूनियर हाईस्कूल, प्राथमिक विधालय, मंदिर एवं पंचायत भवन के समीपवर्ती होकर नापखेतों से चन्दन सिहँ के मकान के पास पीपलतड़ में समाप्त होता है।

उक्त समरेखण में 16 हेयर पिन बैण्ड़ पड़ते है। उक्त मोटर मार्ग में प्रस्तावित ग्रेड निम्न प्रकार है।

0/0 - 0/2 = 1:24 fall	4/2-4/9 = 1:20 fall	9/14 – 9/28 = 1:25 fall
0/2 – 0/28 = 1:20 fall	4/9 - 4/11 = 1:40 fall	9/28 – 9/40 = 1:22fall
0/28 – 0/30 = 1:40 fall	4/11 - 4/18 = 1:25 fall	9/40 – 10/3 = 1:40 fall
0/30 – 0/31 = 1:20 fall	4/18 - 4/20 = 1:40 fall	10/3 – 10/16 = 1:25 fall
0/31 – 0/39 = 1:24 fall	4/20 – 5/6 = 1:20 fall	10/16 – 10/34 = 1:26 fall
0/39 – 1/1 = 1: 40 fall	5/6 – 5/7 = 1:40 fall	10/34 – 10/36 = 1:40 fall
1/1-1/7= 1:24 fall	5/7 – 5/8 = 1:22 fall	10/36 – 10/40 = 1:25 fall
1/7-1/8 = 1:25 fall	5/8 – 5/11 = 1:21 fall	10/40 – 11/9 = 1:24 fall
1/8-1/14 = 1:26 fall	5/11 – 5/20 = 1:20 fall	11/9 – 11/12 = 1:118 fall
1/14-1/18 = 1:25 fall	5/20 – 5/30 = 1:23 fall	11/12 – 11/21 = 1:26 fall
1/18-1/20 = 1:26 fall	5/30 – 6/1 = 1:24 fall	11/21 – 11/23 = 1:40 fall
1/20-1/21 = 1:118 rise	6/1 – 6/2 = 1:25 fall	11/23 – 12/17 = 1:25 fall
1/21-1/27 = 1:25 rise	6/2 – 6/5 = 1:27 fall	12/17 – 12/23 = 1:26 fall
1/27-1/29 = 1:42 rise	6/5 – 6/7 = 1:20 fall	12/23 – 12/29 = 1:35 fall
1/29-1/30 = 1:24 fall	6/7 – 6/9 = 1:26 fall	12/29 – 12/39 = 1:40 fall
1/30-1/33 = 1:22 fall	6/9 – 6/11= 1:40fall	12/39 – 13/1 = 1:24 fall
1/33-1/39 = 1:21 fall	6/11 – 6/13=1:24fall	13/1 – 13/2 = 1:120 fall
1/39-2/8 = 1:20 fall	6/13 – 6/24 = 1:25 fall	13/2 – 13/6 = 1:60 rise
2/8-2/23 = 1:23 fall	6/24 – 6/31 = 1:23 fall	13/6 – 13/13 = 1:40 rise
2/23-2/24 = 1:40 fall	6/31 – 6/32 = 1:40fall	13/13 – 13/25 = 1:20 fall
2/24-2/32 = 1:19 fall	6/32 – 7/1 = 1:24 fall	13/25 – 13/31 = 1:29 fall
2/32-3/8 = 1:20 fall	7/1 – 7/12 = 1:23 fall	13/31 – 13/36 = 1:30 fall
3/8-3/10 = 1:40 fall	7/12 – 7/26 = 1:21 fall	13/36 – 13/38 = 1:40fall
3/10-3/22 = 1:20 fall	7/26 – 7/35 = 1:120 fall	13/38 – 14/5 = 1:24 fall
3/22-3/23 = 1:22 fall	7/35 – 8/3 = 1:22 fall	14/5 – 14/9 = 1:40 fall
3/23-3/27 = 1:24 fall	8/3 – 8/8 = 1:26 fall	14/9 – 14/13 = 1:22 fall
3/27-3/31 = 1:120 fall	8/8 – 8/11 = 1:40 fall	14/13 – 14/18 = 1:120 Rise
3/31-3/38=1:20 fall	8/11 – 8/19 = 1:26 fall	14/18 – 14/21 = 1:60 Rise
3/38-3/40 = 1:40 fall	8/19 – 8/30 = 1:41 fall	14/21 – 14/32 = 1:120 Rise
3/40-4/2 = 1:24 fall	8/30 – 9/14 = 1:29 fall	–

KEY PLAN

NAME OF WORK :- CONSTRUCTION OF BIRTOLA - BELKOT TO PIPALTAR MOTOR ROAD
BLOCK :- BERINAG
DISTRICT :- PITHORAGARH

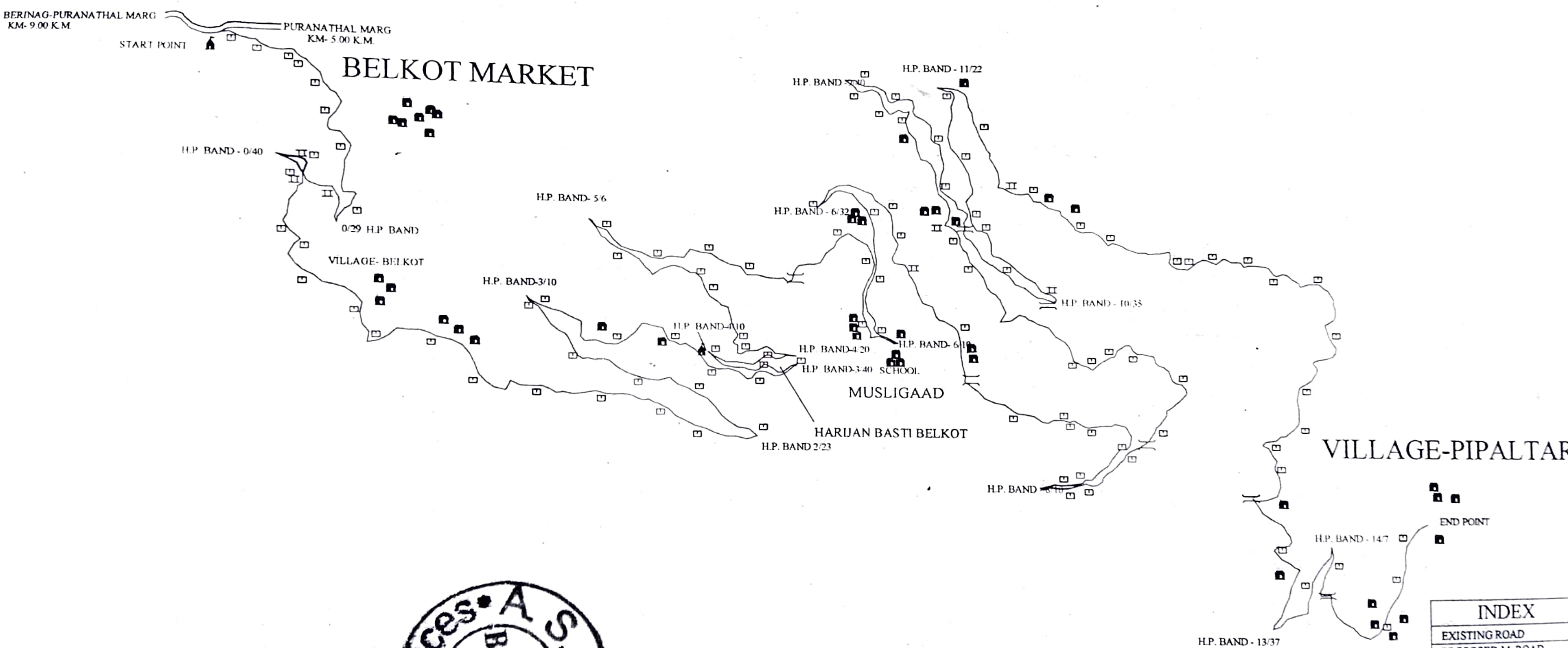

INDEX	
EXISTING ROAD	(wavy double line)
PROPOSED M. ROAD	(double line)
HOUSE	(filled square)
Dumping jone	○
Scupper	□
Culvert	(culvert symbol)
Causeway	(causeway symbol)
Temple	(temple symbol)

A.S. Engineering Services • Bhopal

Astt. Engineer
R.E.S. P.M.G.S.Y
Didihat

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा
पी०आई०यू०—II
पी०एम०जी०एस०वाई०, पिथौरागढ़

32

डिजीटल मैप

कार्य का नामः— प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत बिरतोला—बेलकोट से पीपलतड़ मोटर मार्ग निर्माण हेतु समरेखण प्रस्ताव।(कि0मी0 0.000 से 14.800)।

Legend

Existing Road
Proposed Road
Alternate Road

ALIGMENT-I- IS RECOMENDED FOR SANCTION SHOWN IN RED.

JE.

Astt. A.E.
R.E.S. P.M.G.S.Y
Didihat

E.E.

33